संख्या-9/2021/231/33-3-2021-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2021**

विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C..-XV-FCD/2020-25 दिनांक 27.01.2021, आपके पत्र संख्या-8/4788/2021-8/92(II)/2019-20 दिनांक 01.02.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख में से क्रमश: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख निम्नवत व्यवस्थानुसार अवमुक्त की जायेगी:-

क्र0सं0	पंचायतीराज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि (रू. में)
1	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
3	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
कुल योग		**24,38,00,00,000/-**

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2020-21 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
8- संबंधित बैंकों को।
9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

14- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 9/2021/231/33-3-2021-33/2020 दिनांक 08 फरवरी, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र.सं.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत	योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	60778814	60778814	283634464	405192092
2	अलीगढ़	55750532	55750532	260169149	371670213
3	अम्बेडकरनगर	48071376	48071376	224333090	320475842
4	अमेठी	43507560	43507560	203035280	290050400
5	अमरोहा	32896223	32896223	153515706	219308152
6	औरैया	28181393	28181393	131513167	187875953
7	अयोध्या	47606329	47606329	222162868	317375526
8	आजमगढ़	98261869	98261869	458555388	655079126
9	बागपत	23796733	23796733	111051420	158644886
10	बहराइच	75448047	75448047	352090885	502986979
11	बलिया	66931718	66931718	312348017	446211453
12	बलरामपुर	47926975	47926975	223659215	319513165
13	बांदा	39111579	39111579	182520703	260743861
14	बाराबंकी	68434225	68434225	319359714	456228164
15	बरेली	70992819	70992819	331299824	473285462
16	बस्ती	50752021	50752021	236842764	338346806
17	भदोही	30130105	30130105	140607158	200867368
18	बिजनौर	66845585	66845585	311946062	445637232
19	बदांयू	61028524	61028524	284799780	406856828
20	बुलन्दशहर	62932616	62932616	293685540	419550772
21	चन्दौली	41203826	41203826	192284520	274692172
22	चित्रकूट	23414134	23414134	109265959	156094227
23	देवरिया	63633157	63633157	296954731	424221045
24	एटा	36649877	36649877	171032758	244332512
25	इटावा	29786722	29786722	139004705	198578149
26	फर्रूखाबाद	34985621	34985621	163266231	233237473
27	फतेहपुर	55656773	55656773	259731606	371045152
28	फिरोजाबाद	39254533	39254533	183187819	261696885

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	गौतमबुद्धनगर	7944098	7944098	37072462	52960658
30	गाजियाबाद	16385088	16385088	76463743	109233919
31	गाजीपुर	77962789	77962789	363826348	519751926
32	गोण्डा	76925081	76925081	358983712	512833874
33	गोरखपुर	78955185	78955185	368457531	526367901
34	हमीरपुर	24976493	24976493	116556966	166509952
35	हापुड़	22079343	22079343	103036935	147195621
36	हरदोई	87894244	87894244	410173138	585961626
37	हाथरस	28717983	28717983	134017256	191453222
38	जालौन	28813545	28813545	134463209	192090299
39	जौनपुर	94145508	94145508	439345702	627636718
40	झांसी	33487091	33487091	156273091	223247273
41	कन्नौज	32869110	32869110	153389181	219127401
42	कानपुर देहात	38072473	38072473	177671542	253816488
43	कानपुर नगर	38518166	38518166	179751443	256787775
44	कासगंज	28028260	28028260	130798548	186855068
45	कौशाम्बी	31147671	31147671	145355796	207651138
46	खीरी	88075945	88075945	411021077	587172967
47	कुशीनगर	70158580	70158580	327406708	467723868
48	ललितपुर	30505831	30505831	142360544	203372206
49	लखनउ	30483176	30483176	142254819	203221171
50	महराजगंज	55056889	55056889	256932148	367045926
51	महोबा	20342854	20342854	94933317	135619025
52	मैनपुरी	37401492	37401492	174540294	249343278
53	मथुरा	40602067	40602067	189476314	270680448
54	मउ	37905407	37905407	176891898	252702712
55	मेरठ	39420148	39420148	183960689	262800985
56	मिर्जापुर	54034723	54034723	252162038	360231484
57	मुरादाबाद	44824781	44824781	209182312	298831874
58	मुजफ्फरनगर	51396745	51396745	239851479	342644969
59	पीलीभीत	42098183	42098183	196458188	280654554
60	प्रतापगढ़	67819656	67819656	316491727	452131039
61	प्रयागराज	99561356	99561356	464619683	663742395
62	रायबरेली	61101715	61101715	285141335	407344765

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

63	रामपुर	40734258	40734258	190093205	271561721
64	सहारनपुर	57294681	57294681	267375180	381964542
65	सम्भल	41536155	41536155	193835389	276907699
66	संतकबीर नगर	35200355	35200355	164268321	234669031
67	शाहजहांपुर	57329540	57329540	267537855	382196935
68	शामली	22166855	22166855	103445321	147779031
69	श्रावस्ती	25673815	25673815	119811134	171158764
70	सिद्धार्थनगर	53078502	53078502	247699674	353856678
71	सीतापुर	94995990	94995990	443314620	633306600
72	सोनभद्र	44880154	44880154	209440720	299201028
73	सुल्तानपुर	53542391	53542391	249864489	356949271
74	उन्नाव	62923909	62923909	293644910	419492728
75	वाराणसी	45962033	45962033	214489486	306413552
	कुल योग	**3657000000**	**3657000000**	**17066000000**	**24380000000**

रू. 24,38,00,00,000/-(रू. चौबीस अरब अड़तीस करोड़ मात्र)

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।